न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 76/2011

1. कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री भौरीलाल मीना जाति मीना निवासी कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना ईकाई 156 गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर 302021।

...अप्रार्थीगण

आपत्ति प्रार्थना पत्र विरूद्ध अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय दिनांक 02.02.2009।

उपस्थिति– 1. श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 16.09.2020

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम कैलाई तहसील सिकराय में स्थित खसरा नं0 135/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे नं0 11 पर स्थित है। जिसमे प्रार्थी की मार्बल गैग्सा लगी हुई है तथा उक्त भूमि मे से प्रार्थी की 501.61 वर्गमीटर भूमि नेशनल हाईवे नं0 11 को 2 लाईन से फोरलाईन करने हेतु अवाप्त की गई थी। जिसमे गैग्सा मशीन की जगह एवं दुकान भी अवाप्त मे आ गई। जिसकी सर्वे रिपोर्ट जैमन ऐसोसियेट गांधीनगर रेल्वे स्टेशन वेस्ट टोंक रोड जयपुर द्वारा की गई थी। जिसमे उक्त भूमि अवाप्ति बाबत संरचना एवं निर्माण की राशि 5,95,633.96 रूपये (पांच लाख पिचानवे हजार छः सौ तेतीस रूपये छियानवे पैसे) तय की गई थी। किन्तु जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.03.2007 के तहत प्रार्थी की उक्त 501.67 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 02.02.2009 को जारी किया गया। उक्त अवार्ड मे राशि 1484993/–रूपये तथा संरचना निर्माण राशि 5,33,397/–(पांच लाख तैतीस हजार तीन सौ सतानवे रूपये) का अवार्ड जारी किया। इस प्रकार सर्वे अनुसार राशि मे से शेष राशि के भुगतान हेतु प्रार्थी द्वारा यह आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2008 द्वारा निर्देश दिये जाने के उपरान्त भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 02.02.2009 जारी किया गया था। जिसमें प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि खसरा नं0 135/3 पर निर्मित संरचना का मुआवजा 5,33,397/–रूपये निर्धारित किया गया था जबकि सर्वे कंपनी जैमन ऐसोसियेट द्वारा उक्त संरचना का वैल्यूऐशन रिपोर्ट मे उक्त संरचना की राशि 5,95,633.96 रूपये अंकित की गई है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी को संरचना की मुआवजा राशि का सही निर्धारण नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी संरचना एंव निर्माण की सर्वे रिपोर्ट अनुसार शेष राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। समस्त भूमि अवार्ड दिनांक 12.05.2006 से 02.02.2009 तक जारी अवार्ड का एवं शेष राशि का आज दिनांक तक 9 प्रतिशत ब्याज दिलाया जावे। प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की दिनांक 02.02.2009 की डीएलसी रेट के अनुसार भुगतान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उक्तानुसार अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण सं0 21/2011 उनवानी नाथूसिंह बनाम सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी सिकराय मे पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 का उल्लेख करते हुए अवार्ड अनुसार राशि का भुगतान मय ब्याज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 द्वारा निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के महवा भरतपुर खण्ड को फोरलेनीकरण करने हेतु भूमि अवाप्ति करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 को जारी की गई थी एवं अधिनियम की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना 14.09.2006 को जारी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान के समय खातेदारान ने जिला कलक्टर महोदय के समक्ष रकबा कमीबेसी होने के कारण आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 28.04.2008 को संशोधित अवार्ड जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिस पर मौके की स्थिति के आधार पर पुनः अवार्ड आदेश पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी खसरा नं0 135/3 मे अवाप्तशुदा रकबा 501.67वर्गमीटर माना जिसको औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होना स्वीकार किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मुल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण करवाया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) मे दिये गये निर्देशों की पालना मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच (1)के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0135/3 मे से अवाप्तशुदा रकबा 501.67 वर्गमीटर की किस्म औद्योगिक की दर से मुआवजा राशि 14,84,993/–रूपये तथा संरचनाराशि 5,33,397/–रूपये निर्धारित की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने से विधि के प्रावधानुसार विबंधित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति व रिकार्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कलक्टर महोदय दौसा के निर्णय दिनांक 20.4.2008 की पालना मे ग्राम कैलाई स्थित भूमि खसरा नं0 135/3 का संशोधित आदेश क्रमांकः एलए–08/14 दिनांक 02.02.09 द्वारा संशोधित आदेश पारित किये जाकर अवाप्तशुदा 501.67 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक का प्रार्थी कमलेश पुत्र भौरी लाल मीना निवासी कैलाई को संरचना राशि का संशोधित आदेश/अवार्ड अनुसार चैक सं0 342129 द्वारा पूर्व मे भुगतान कर दिया गया है। संशोधित आदेश पारित किये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय मे कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पारित आदेशानुसार/ अवार्ड अनुसार प्रार्थी को संरचना राशि का डीएलसी दर से किया गया भुगतान सही होना व्यक्त किया गया है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 737 दिनांक 13.01.2016 के अनुसार संशोधित आदेश दिनांक 02.02.2009 पारित किये जाने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया एवं संरचना राशि का संशोधित आदेश/अवार्ड अनुसार चैक द्वारा भुगतान कर दिया जाना तथा संरचना राशि का डी0एल0सी0 दर से किया गया भुगतान सही होना व्यक्त किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से प्रस्तुत जबाव मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) मे दिये गये निर्देशों की पालना में अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी0एल0सी दर के आधार पर किया गया है एवं अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि का मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया जाना व्यक्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया जाना बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा